

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/एल-172/2026- /स्वा०, पटना, दिनांक / / 2026

डा० श्वेता कुमारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (प्रसव एवं स्त्री रोग), राजकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पैठना, रहुई, नालन्दा के द्वारा द्वितीय संतान के प्रसव हेतु दिनांक-28.07.2026 से 23.01.2027 तक कुल-180 (एक सौ अस्सी) दिन का उपभोगित/उपभोग की जानेवाली अवधि को वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में मातृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापक-2/एल-172/2026- 2296/25 पटना, दिनांक 22/9/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना/अधीक्षक, राजकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पैठना, रहुई, नालन्दा/कोषागार पदाधिकारी, नालन्दा/डा० श्वेता कुमारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (प्रसव एवं स्त्री रोग), राजकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पैठना, रहुई, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/9/26
सरकार के उप सचिव
I